

कार्यालय निदेशक  
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।

पत्रांक—राकृप्रसं/

/ का०स०अ० / प्रशित्ति०सामा० / 2016—17 दिनांक: ०६—०५ : अप्रैल, 2016

समस्त उप कृषि निदेशक  
उ०प्र०

दिनांक 14.03.2016 को प्रमुख सचिव (कृषि), उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में निर्देशित किया गया है कि राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर प्रशिक्षण हेतु उन्हीं कृषकों को नामित किया जाय जिनका परदर्शी किसान सेवा योजना (डी.बी.टी.) में पंजीकरण हो। यदि किन्हीं परिस्थित में ऐसे कृषकों को भेजा जाता है जो डी.बी.टी. में पंजीकृत नहीं है तो कृषकों को यह सूचित कर दिया जाय कि अपने साथ आई.डी. प्रूफ, खतौनी, बैक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि अभिलेखों के साथ प्रशिक्षण में सहभागिता करें, ताकि उनका पंजीकरण राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर किया जा सके।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रमुख सचिव (कृषि), उ०प्र० शासन महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही कृषकों को प्रशिक्षण हेतु भेजेंगे।

A.D.Computer

पत्रांक—राकृप्रसं/ २६६

/ का०स०अ० / प्रशित्ति०सामा० / 2016—17 दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि:-

1. ✓ कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से जनपदीय उप कृषि निदेशकों को निर्देशित करनें तथा संस्थान पर पंजीकरण हेतु अपेक्षित कार्यवाही करनें का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (कृषि), उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ को महोदय के अवलोकनार्थ।

 निदेशक  
पृष्ठ ५५/१६